(238)

III/निग0/ सिंगरौली/भू.रा0/2017/ 3958 (345)

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

Rs-30/-

वृहस्पति पिता वरकू रजक निवासी ग्राम सिगरौलिया रा0 नि0मं0 शासन तहसील सिगरौली जिला सिगरौली म.प्र. ------ निगरानी कर्ता

बनाम

1. सीतल प्रसाद वैश्य तनय स्व0 ठाकुर प्रसाद वैश्य निवासी सिगरौलिया रा0 नि0मं0 शासन

2. शासन म.प्र. ------ गैरनिगरानी कर्तागण

अधिवक्ता श्री ... द्वारा प्रस्तुत/ 17-10-17

निगरानी विरुद्ध आदेश रा0 नि0मं0 शासन तहसील व जिला सिगरौली प्र0 क्र0 388-12/16-17 आदेश दिनांक 30.6.17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. या विवधी न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया व प्राकृति न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2- यह कि आवेदक आराजी नं0 591, 594, 701 स्थित ग्राम सिगरौलिया रा0 नि0 मं0 शासन तहसील व जिला सिगरौली का अभिलिखित भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है, गैरनिगरानी कर्ता क्र0 1 ने अपने आराजी ख0 482, 689, एवं 700 के सीमांकन हेतु अधी0 न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 17.7.16 को प्रस्तुत किया था निगरानी कर्ता सीमांकित भूमियो का सरहददी कृषक है। किन्तु निगरानी कर्ता को कोई सूचना नही दी गई एवं न ही मौके से कोई सीमांकन ही किया गया एवं जो सूचना पत्र कुछ सरहददी कृषको को जारी किया गया वह सूचना दिनांक 19.6.17 के लिए जारी की गई था किन्तु 19.6.17 को कोई सीमांकन नही किया गया ।

2 पेज पर.

(238)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / भू–रा0 / 2017 / 3958 जिला–सिंगरौली

बृहस्पति रजक / सीतल प्रसाद वैश्य

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण कुमार साहू उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त शासन, तहसील सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 38 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	